म सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

जमुना रजक पिता स्व0 शिबू बैठा, निवास स्थान ग्राम-सिलवारकलां, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-सिलवारकलां, थाना नं0-179, खाता संख्या-77 प्लॉट संख्या-577, रकबा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि यशोदा देवी पति राजेश रजक, निवास स्थान ग्राम-चुटियारो, पोस्ट-रोला, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-788/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 6027/रा0 दिनांक 23.11.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 254 दिनांक 09.02.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नही किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है, जो विक्रेता के दादा झरी धोबी के नाम से खतियान दर्ज है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-73/4 पर विक्रेता के चचेरा दादा चेतलाल धोबी वगै0 के नाम से दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2002-03 तक निर्गत् है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म टॉड-।।। रैयती है। खतियानी रैयत झरी धोबी वल्द जगु धोबी हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 23.01 एकड़ भूमि है। मौजा-सिलवारकला के खाता संख्या-77 कुल रकवा 22.3.9डी0 भूमि पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-73/4 पर चेतलाल धोबी वगै0 के नाम से दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत के परदादा के परपोता एवं दादा के पोता हैं। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 21.991 डी0 भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 21.9991डी0 भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी त
1	2	

करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में जमुना रजक पिता स्व0 शिबू बैठा, निवास स्थान ग्राम-सिलवारकलां, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-सिलवारकलां, थाना नं0-179, खाता संख्या-77 प्लॉट संख्या-577, रकबा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि यशोदा देवी पति राजेश रजक, निवास स्थान ग्राम-चुटियारो, पोस्ट-रेला, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

7/23

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.07.08 17:03:47 +05:30
Location: 192.168.0.101